(89)

निग/3908–II-15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी

श्री ब्रजेन्द्र सिंह चावडा अधि. द्वारा आज दि. 3/12/15 को प्रस्तुत

3/12/15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. मु0बसन्ती पत्नी स्व.श्री भईयालाल चौरसिया,
2. किशुन कुमार चौरसिया पुत्र श्री सालेग्राम चौरसिया,
3. राजकुमार पुत्र स्व.श्री भईयालाल चौरसिया,
4. संजय चौरसिया स्व.श्री भईयालाल चौरसिया,
5. प्रमोद चौरसिया स्व.श्री भईयालाल चौरसिया,

निवासी वार्ड क्र.6, लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म0प्र0)

-- आवेदकगण

बनाम

1. छेदालाल पुत्र स्व. श्री सुखलाल चौरसिया, निवासी लवकुशनगर, जिला छतरपुर म0प्र0
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला छतरपुर

-- अनावेदकगण

ब्रजेन्द्र सिंह चावडा
03/12/15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 आदेश दिनांक 08.08.2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसील, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर के रा0प्र0क्र048/अ–12/2014–15 से परिवेदित होकर।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, अनावेदक छेंदालाल, निवासी लवकुशनगर, जिला छतरपुर के अपने स्वामित्व की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 1181 रकवा 0.065 हैक्टेयर में तहसीलदार लवकुशनगर के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें आवेदक को मेडिया कास्तकार होने के उपरान्त

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3908-दो/2015 जिला छतरपुर मु.बसंती विरूद्ध छेदालाल व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार तहसील लवकुशनगर के प्रकरण क्रमांक 48/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 08-08-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 6. उभय पक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 05/2/2019 सदस्य	